महत्वपूर्ण एवं खास

वार्डो के आरक्षण की कार्यवाही 25 सितम्बर को

नगरीय निकाय आम निर्वाचन

न्याय साक्षी/रायगढ़। / रायगढ़ जिले में स्थित नगर पंचायतों, नगर पालिका परिषद, नगर पालिक निगम में आम निर्वाचन हेतु वार्डो के आरक्षण की कार्यवाही 25 सितम्बर 2019 को पूर्वान्ह 11 बजे से कलेक्ट्रेट कार्यालय रायगढ़ के सृजन सभाकक्ष में की जाएगी। नगरीय निकायों में नगर पालिक निगम रायगढ़, नगर पालिका परिषद खरसिया, नगर पंचायत घरघोड़ा, नगर पंचायत धरमजयगढ़, नगर पंचायत लैलूंगा, नगर पंचायत किरोड़ीमल नगर, नगर पंचायत पुसौर, नगर पंचायत सरिया एवं नगर पंचायत बरमकेला शामिल है। इच्छुक नागरिक वार्डो की आरक्षण कार्यवाही में निर्धारित तिथि एवं समय में उपस्थित हो सकते है।

जवाहर नवोदय विद्यालय चयन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितम्बर तक बढ़ी

आवेदन ऑनलाईन माध्यम से भरे जायेंगे

न्याय साक्षी/रायगढ़। अखिल भारतीय जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2020 के लिए विद्यार्थियों से ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15 सितम्बर 2019 थी जिसे बढ़ाकर 30 सितम्बर 2019 तक कर दिया गया है। इच्छुक विद्यार्थी नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाईट navodaya.gov.in में जाकर आवेदन कर सकते है।

विद्युत चोरी के धारा 135 व 138 के प्रकरणों का होगा राजीनामा

न्याय साक्षी/रायगढ़। ऊर्जा विभाग छ.ग.शासन विद्युत निरीक्षकालय के अंतर्गत विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के साथ-साथ धारा 138 के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों का भी राजीनामा संबंधी कार्य कार्यपालन अभियंता (विद्युत सुरक्षा)एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक कार्यालय, रायगढ़ द्वारा किया जाएगा।

सामान्य एपीएल राशनकार्ड के लिए आवेदन जमा होंगे अब 23 सितम्बर तक

न्याय साक्षी/रायगढ़। सार्वभौम पीडीएस के अंतर्गत सामान्य एपीएल राशनकार्ड हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 17 सितम्बर 2019 निर्धारित थी। राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णयानुसार एपीएल राशनकार्ड हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि में वृद्धि करते हुए अब 23 सितम्बर 2019 तक आवेदन पत्र प्राप्त किए जा सकेंगे।

कलेक्टर ने कोल ब्लॉक संचालकों की बैठक ली

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर यशवंत कुमार ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिले में आबंटित कोल ब्लॉकों का संचालन कर रही कंपनियों के प्रतिनिधियों की खनिज निकास मार्ग एवं अधोसंरचना विकास कार्यों के समीक्षा हेतु बैठक ली।

यह बैठक छत्तीसगढ़ शासन खनिज विभाग के विशेष सचिव एवं जिले के प्रभारी सचिव पी.अम्बलगन द्वारा 11 सितम्बर 2019 को कोल ब्लॉको के प्रगति की समीक्षा बैठक में जिले के कोल ब्लाक आबंटितों को खनिज निकास मार्ग के चिन्हांकन तथा अधोसंरचना के निर्माण के संबंध में कार्ययोजना तैयार करने हेतु जिला स्तर पर बैठक आहूत किए जाने के निर्देश पर ली गई थी।

उक्त बैठक में कलेक्टर द्वारा कंपनियों को कोल ब्लॉक संचालन के लिए निर्धारित किए गए प्रावधानों के अंतर्गत किए जा रहे कार्य जैसे भू-अर्जन का मुआवजा वितरण, पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों, अधोसंरचना निर्माण एवं विकास, खनिज निकासी हेतु रोड निर्माण एवं मेन्टेनेन्स तथा सीएसआर संबंधी कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। कलेक्टर ने सभी कंपनियों को उक्त कार्य निर्धारित समय-सीमा में तय नियमों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण तरीके से करने के स्पष्ट निर्देश दिए। बैठक में डीएफओ मनोज कुमार पाण्डेय, अपर कलेक्टर सुखनाथ अहिरवार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व घरघोड़ा अशोक कुमार मार्बल, खनि अधिकारी सोनकर, पर्यावरण अधिकारी शर्मा, पीडब्ल्यूडी एवं विद्युत विभाग के अधिकारी तथा एसईसीएल, हिण्डालको, अम्बूजा, एनटीपीसी इत्यादि कंपनियों से प्रतिनिधि मौजूद रहे।

पेंशनरों को मिलने वाली दवाई को लेकर कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन 20 सितम्बर को

न्याय साक्षी/रायगढ़। छत्तीसगढ़ पेंशनर्स एसोसियेशन के प्रांतीय महामंत्री हेम प्रसाद तिवारी, रायगढ़ के अध्यक्ष शर्मा, छत्तीसगढ़ प्रगतिशील पेंशनर कल्याण संघ के अध्यक्ष राजीव रत्न चौबे ने बताया कि पेंशनरों को हर माह डॉक्टर के लिखे पर्चा के आधार पर ब्रांडेड कंपनी की एक हजार रुपए मूल्य की दवाईयां मिल रही थी। वर्तमान में रायगढ़ जिले के जिस दवाई दुकानदार को इसका ठेका दिया गया है उन्हें 80 प्रतिशत जेनेरिक दवाई व 20 प्रतिशत ब्रांडेड दवाई देने का निर्देश दिया गया है।

श्री चौबे ने बताया कि बीपी, शुगर व अन्य बीमारी से ग्रसित पेंशनर वर्षो से ब्रांडेड कंपनी की दवाईयां खा रहे है, उन पेंशनरों का अचानक ब्रांडेड दवाई के जगह जेनेरिक दवाई दिया जाता है तो उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। चौबे ने बताया कि पेंशनर एसोसियेशन व प्रगतिशील पेंशनर कल्याण संघ के संयुक्त आव्हान पर 20 सितम्बर 2019 को कलेक्टर कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे तथा संघ की ओर से कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन सौंपेगे। समस्त पेंशनरों से अनुरोध किया गया है कि धरना प्रदर्शन में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होना सुनिश्चित करें एवं संघ की एकता को मजबूत बनाएं।

तरकेला एवं रिसोरा में विकासखण्ड स्तरीय आयुष स्वास्थ्य मेला आयोजित

न्याय साक्षी/रायगढ़। जिला आयुर्वेदिक विभाग द्वारा रायगढ़ विकासखण्ड के तरकेला में 16 सितम्बर को विकासखण्ड स्तरीय आयुष स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया। स्कूली विद्यार्थियों एवं बड़ी संख्या में ग्रामवासियों ने इसका लाभ प्राप्त किया।

इसी तरह आज बरमकेला विकासखण्ड के ग्राम-रिसोरा में आयुष स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया एवं पोषण अभियान के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर जिला आयुर्वेदिक अधिकारी रायगढ़ डॉ.जी.एस.पटेल, आयुष विभाग के डॉक्टर उपस्थित थे।

प्राकृतिक आपदा के तहत 8 व्यक्तियों की असामायिक मृत्यु

» वारिसानों के लिए सहायता राशि स्वीकृत

न्याय साक्षी/रायगढ़। रायगढ़ एवं खरसिया अनुविभाग अंतर्गत प्राकृतिक आपदा से 8 व्यक्तियों की असामायिक मृत्यु हो गई। कलेक्टर रायगढ़ द्वारा एसडीएम रायगढ़ एवं खरसिया की अनुशंसा पर राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत मृतक के वारिसानों को 4-4 लाख रुपए की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार रायगढ़ जिला अंतर्गत तहसील पुसौर के ग्राम-सरवानी निवासी गजेन्द्र की 22 अक्टूबर 2018 को पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके पिता मनीराम सिदार को 4 लाख रुपए, ग्राम-छिछोरउमरिया निवासी राधिका बरेठ की 22 मार्च 2019 को पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके पिता लोचन बरेठ को 4 लाख रुपए, ग्राम-जतरी के लालाराम सिदार की 14 जुलाई 2018 को सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनकी पत्नी गणेशी सिदार को 4 लाख रुपए, ग्राम-गेजामुड़ा की कु. शर्मिला बरेठ की 12 अगस्त 2018 को आकाशीय गाज से मृत्यु होने पर उनके पिता सुमन बरेठ को को 4 लाख रुपए, ग्राम-सियारपाली के प्रमिला चौहान की 30 अक्टूबर 2018 को आग में जलने से मृत्यु होने पर उनके पति आलेखराम चौहान को 4 लाख रुपए तथा ग्राम-कोरियादादर गोपालपुर कु.शांति सिदार की 6 अगस्त 2018 को पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनकी माता चंद्रमती को 4 लाख रुपए की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

इसी तरह खरसिया तहसील अंतर्गत ग्राम-जामझोर निवासी रूपकुंवर की 17 अक्टूबर 2018 को आग में जलने से मृत्यु होने पर उनके पुत्र विदेश राठिया को 4 लाख रुपए तथा हरिजन मोहल्ला, खरसिया के अगर कुमार की 22 जुलाई 2018 को पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनकी माता अहिल्या रानी को 4 लाख रुपए की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

आवश्यकता है

CAREER SCHOOL

अंग्रेजी माध्यम (English Medium) में कक्षा 8 वीं, 9वीं एवं 10वीं के लिए

गणित एवं अंग्रेजी विषय हेतु अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों की आवश्यकता है।

वेतन योग्यतानुसार

मिलने का समय- सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक

अभ्यार्थी अपना संपूर्ण बायोडाटा के साथ उपस्थित होवें।

CAREER SCHOOL

श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, रायगढ़

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनतमूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईजर श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बॉडी के सदस्यों कृपा टी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी तकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के गठन सामाजिक अन्याय अत्याचार मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर वेतनभत, मतैव, परिलक्षित, विषयवस्तुओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं तकनीकी रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में तत्पर सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा तकनीकी शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला एवं आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career School, Raigarh, C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

CAREER SCHOOL

Topper Students Last Session

Tarun 90% Yamini 98% Shraddha 93% Priyanka 96% Prerna 84% Hirendra 99% Akanksha 90% Geetanjali 99% Chetna 94% Arpita 93% Arpita 98% Rakesh 97% Sejal 88% Shiva 97%

स्थापना दिनांक 1 जुलाई 1996

पिछले 22 वर्षों से लगातार बच्चों के साथ...

ADMISSION OPEN

ENGLISH MEDIUM

For Nuresery to 10th

Topper Students Last Session

Sushant 92% Prince 97% Kusum 98% Abhishek 99% Aayush 93% Prachi 97% Tulika 96% Pari 96% Aradhya 97% Ananya 99% Ashish 96% Ankita 99%

Join CAREER...

Major Facts

1/ Well Qualified Teachers....
2/ A perfact ratio of Techers and Students regarding classes...
3/ Complete Caring Atmosphere.
4/ Good and Equipped Class rooms....
5/ Value based education like daily classes for Logical Maths, G.K.,English Grammar....
6/ CCTV equipped School...
7/ Scientific and Cultural Activities Every Saturday....
8/ And above all Attention on Each and Every Student of the School....

CAREER SCHOOL
ENGLISH MEDIUM
BEHIND STADIUM STREET
RAIGARH C.G.
07762-221359

तत्काल आवश्यकता है

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्प्यूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग

वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिंग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें....

न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार- पत्र की

खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, मनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।

स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग.
संपर्क करें मो.नं. 9039961090

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO Ñ- CHHHIN/2018/76480